विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
****

विषय - मूल्यांकन समिति का गठन ।

विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय प्राइवेट प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विधि की पुस्तकों पर प्रतिवर्ष पुरस्कार प्रदान करता है । पुरस्कार के लिए प्राप्त पुस्तकों का मूल्यांकन करने और पुरस्कार की संस्तुति करने के लिए एक मूल्यांकन समिति का गठन दो वर्षो के लिए किया जाता है । मूल्यांकन समिति में सरकारी सदस्यों के साथ-साथ गैर सरकारी सदस्यों को भी नामित किया जाता है । उच्च न्यायालयों के कार्यरत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा विश्वविद्यालय के विधि विभाग/विधि महाविद्यालय के उपकुलपति, प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष, जिन्हें विधि और हिन्दी विषय का पर्याप्त ज्ञान हो, को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया जाना है । पुस्तकों का मूल्यांकन करने और बैठक में उपस्थित होने के लिए निर्धारित दरों के अनुसार पारिश्रमिक राशि का भी संदाय किया जाता है ।

मूल्यांकन समिति का कार्यकाल 31 मार्च, 2018 को समाप्त हो गया है । अत:, नई मूल्यांकन समिति का गठन किया जाना अपरिहार्य है । इसके लिए उच्च न्यायालयों के कार्यरत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा विश्वविद्यालय के विधि विभाग/विधि महाविद्यालय के उपकुलपति, प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष, जिन्हें विधि और हिन्दी विषय का पर्याप्त ज्ञान हो, और जो गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित होने के इच्छुक हों, से अपना जीवन वृत्त 22 जुलाई, 2018 तक निम्निलिखित पते या ई मेल ce.vsp-molj@gov.in पर भेजने का आग्रह किया जाता है । इस तारीख के पश्चात प्राप्त प्रविष्टियों को ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

कृपया अतिरिक्त जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर संपर्क करें :

प्रधान संपादक/संपादक (पुस्तक एकक) ,
विधि साहित्य प्रकाशन (विधायी विभाग) ,
विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास रोड, नई दिल्ली 110001
टेलीफोन नं. 011- 23387589, 23383248, 23389001
फैक्स 011- 23387589